



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश जल निगम परिसर,
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

Phone: 0522-2239426
Website-swsn.up.gov.in

पत्रांक-2939 / W-17/NCC-SONBHADRA/2021-22

दिनांक: 09 दिसंबर, 2021

सेवामें,

परियोजना प्रबंधक,

मेसर्स एनसीसी लिमिटेड,

जनपद- सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

विषय- जनपद सोनभद्र की पटवघ ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना LOA No. 369 / W-17 / PMC (BID) / 2020-21, Dated 07.06.2021 की प्रस्तावित डिजाइन एवं ड्राइंग की स्वीकृति के संबंध में।

Ref. No.: Agreement No. 97 / ED /2021-22, Dated 16.06.2021

महोदय,

आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से पटवघ ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत डिजाइन्स/ड्राइन्स की स्वीकृति चाही गई है। इस क्रम में प्रस्तुत निम्नलिखित शर्तों के अधीन डिजाइन व ड्राइंग की स्वीकृति दी जाती है:-

1. डिजाइन एवं ड्राइंग हेतु उपयोग किये जाने वाले आंकड़ों की सत्यता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी/कांटेक्टर उत्तरदायी होंगे। भविष्य में यदि किसी भी समय यह संज्ञानित होता है कि एजेंसी के द्वारा गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं अथवा गलत आंकड़ों के आधार पर डिजाइन व ड्राइंग तैयार किया गया है तो नियमानुसार कांटेक्टर को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
2. प्रस्तुत डिजाइन/ड्राइंग जिस कार्य/परियोजना हेतु प्रस्तुत किया गया है, की स्वीकृति उक्त कार्य/परियोजना के प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति के सीमा के अधीन होगा।
3. ड्राइंग, बी0ओ0क्यू0 एवं तकनीकी विशिष्टियां में अनुबंध के सुसंगत प्रावधानों से भिन्नता की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अनुसार तकनीकी विशिष्टियों आदि मान्य होगी।
4. स्थानीय स्थल के आवश्यकता अनुसार उक्त ड्राइंग में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो तदनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर, निर्माण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत ड्राइंग के उपरांत भी यदि निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध में दी गयी शर्तों एवं अनुबंध के प्राविधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जाए।
6. निर्माण के लिए अनुबंध की समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत ड्राइंग यदि किसी स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत कोड में दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन करता हो तो भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत कोड में दिए गए प्राविधा नहीं सर्वोच्च माने जायेंगे।
8. स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार कार्य स्थल पर सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता हेतु सम्बंधित कांटेक्टर पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
9. कार्यस्थल पर भूमि विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद हेतु स्वीकृतिकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. स्रोत एवं अन्य स्थानों पर पर्याप्त जल की उपलब्धता हेतु ड्राइंगडिजाइन अनुमोदनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।

संलग्नक-निम्नानुसार डिजाइन्स/ड्राइंग्स


SNo.	Zone	Document Name	Document No.
1	Zone-bhbhaech	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/BHBHAECH/DIST.01/001
2	Zone-Redia	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/REDIA/DIST.01/001
3	Zone-Patwadh	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/PATWADH/DIST.01/001
4	Zone-Rudwali	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/RUDWALI/DIST.01/001
5	Zone-Kanach	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/KANACH/DIST.01/001
6	Zone-1	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 1/DIST.01/001
7	Zone-3-1	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 3-1/DIST.01/001
8	Zone-11	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 11/DIST.01/001
9	Zone-10	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 10/DIST.01/001
10	Zone-6	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 6/DIST.01/001
11	Zone-6C-1	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 6C-1/DIST.01/001
12	Zone-5B-1	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 5B-1/DIST.01/001
13	Zone-8	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 8/DIST.01/001
14	Zone-9	Hydraulic design & drawing	NCC/W&E/ZONE 9/DIST.01/001


(डी०के० सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. यूनिट कोऑर्डिनेटर (टेक्निकल), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, जनपद- सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।
5. टीम लीडर सेंसिस टेक लिमिटेड लिमिटेड, PMC, जनपद- सोनभद्र।


अधीक्षण अभियन्ता